के आदेश में निर्देश दिया था कि आवेदकों को वरीयता पुनः निर्धारित की जाए। आवेदकों में श्री एच. आर. यादव भी शामिल थे। उच्चतम न्यायालय ने अपने 28 मार्च, 1989 के निर्णय के तहत मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के उक्त आदेश का अनुमोदन कर दिया था। उक्त आदेश को कार्यान्वित कर दिया गया है।

रोजगार में कथित वृद्धि

2205. **श्री राम जेठमलानी :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 14 मई, 1990 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" समाचार में "रोजगार में 4.3 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि, पी एच डी सी सी आई" शीर्षक से प्रकाशित उस समाचार की ओर दिलाया गया है, जिसमें गरीबी उन्मूलन के उपाए बताए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है; और

(ग) उक्त सुझाव के कार्यान्वयन के संबंध में सरकार की भावी योजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागेय गोवर्धन) : (क) से (ग) यह समाचार, "रोजगार सृजन के लिए कार्यनीति: कुछ मुद्दे" नामक अध्ययन के संदर्भ में है, जो अप्रैल, 1990 में पी एच डी सी सी आई द्वारा किया गया। अध्ययन में अनुमान लगाया गया है कि यदि आठवीं योजना के दौरान सभी बेरोजगारों को रोजगार प्रदान किया जाना है तो रोजगार सृजन को 4.3 प्रतिशत वार्षिक की दर से बढ़ाना होगा, इसमें यह भी बताया गया है कि आठवीं योजना अवधि में बेरोजगारी की समस्या का उन्मूलन किया जा सकता है यह बात सोचना विवेकपूर्ण नहीं होगा, लेकिन यह कि इस उद्देश्य के लिए दीर्घावधिक कार्यनीति तैयार करना वांछनीय होगा। इस अध्ययन में दिए गए महत्वपूर्ण सुझाव हैं-जनसंख्या संवृद्धि, निरक्षता और खराब स्वास्थ्य में कमी करने; व्यावसायिक प्रशिक्षण अवसरों को बढ़ाने, आवश्यकताओं के अनुरूप जनशक्ति आयोजना और जनशक्ति विकास, आयोजना के विकेन्द्रीकरण, स्वरोजगार पर अभिकेन्द्रण, स्थानीय, संसाधनों के अधिकतम उपयोग, भूमि विकास, कृषि और उद्योगों तथा ग्रामीण व शहरी केन्द्रों के बीच बेहतर सम्पर्कों का विकास; प्रशिक्षण, वित्त व्यवस्था, आधार संरचना तक अभिगम इत्यादि के प्रावधान के माध्यम से असंगठित क्षेत्र का संवर्द्धन और संगठित क्षेत्र विशेष कर निजी, संगठित क्षत्र की रोजगार क्षमता को बढ़ाने के उपाय जैसे निवेश की स्थिति सुधारने के लिए मांग, पूर्ति, आधार संरचना इत्यादि बाधाओं का निराकरण निवेश की स्थिति सुधारने के लिए, औद्योगिक रुग्णता से निपटना, औद्योगिक संबंधों के परिदृश्य का सुधार, सहायक उद्योगीकरण, निजी निर्माण क्रियाकलापों और तृतीयक क्षेत्र का संवर्द्धन करने के कदम उठाए जाने चाहिए।

आठवीं पंचवर्षीय योजनायें तैयार करते समय इन सुझावों को ध्यान में रखा जाएगा।

ग्रामीण तथा पर्वतीय क्षेत्रों के लिए कार्य योजना का कार्यान्वयन

2206. **सरदार जगजीत सिंह अरोड़ा :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने इस कलेंडर वर्ष के शुरू में देश के ग्रामीण तथा पर्वतीय क्षेत्रों के लिए एक कार्य योजना के कार्यान्वियन की घोषणा की थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या कथित कार्य योजना के कार्यान्वियन का काम शुरू हो गया है; और

(ग) यदि हां, इस संबंध में वर्तमान स्थिति क्या है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री और कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागेय गोवर्धन) : (क) और (ख) जी हां। तथापि, कार्य योजना में देश के पर्वतीय क्षेत्रों से संबंधित कोई विशिष्ट मद नहीं है।

(ग) ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित कार्य योजना की संगत मदों की वर्तमान स्थिति विवरण में दी गई है (नीचे देखिए)।

विवरण

क्रम सं.	मद का सारांश	वर्तमान स्थिति
1.	कृषि/ग्रामीण क्षेत्र में 50 प्रतिशत परिव्यय	शहरी और ग्रामीण सैक्टरों के बीच अनुभाजन की विधि तैयार और सभी मंत्रालयों परिचालित में की जा चुकी है। राज्यों को मार्गदर्शी सिद्धांत भी भेजे जा चुके हैं। केन्द्रीय योजना 1990-91 में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बजट सहायता बढ़ायी गई है।
2.	कृषक को लाभदायक कीमतें	विपणन वर्ष 1990-91 के लिए रबी फसल के अधि प्राप्ति/न्यूनतम सहायता कीमतों को स्थायी सलाहकार समिति की सिफारिशों के परिप्रेक्ष्य में बढ़ाया गया है। खरीफ फसल के लिए कृषि लागत तथा कीमत से संबंधित आयोग की सिफारिशें विचाराधीन हैं।
3.	काम का अधिकार/रोजगार गारन्टी	काम के अधिकार से संबंधित संवैधानिक संशोधन का प्रारूप और रोजगार गारन्टी स्कीम से संबंधित बिल का प्रारूप तैयार किया जा चुका है।
4.	पंचायती राज से संबंधित बिल	माडल बिल का प्रारूप और संवैधानिक संशोधन बिल, मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किए जा चुके हैं। इन पर शीघ्र ही आयोजित होने वाली मुख्यमंत्रियों की बैठक में विचार विमर्श किया जाएगा।
5.	(क) संविधान की नौवीं अनुसूची में भूमि सुधार कानूनों को शामिल किया जाना	संविधान की नौवीं अनुसूची में 55 भूमि कानूनों को शामिल करने के उद्देश्य से लोक सभा में संविधान (66वां संशोधन) बिल, 1990 नामक संवैधानिक संशोधन बिल पहले ही प्रस्तुत किया जा चुका है।

क्रम सं०	मद का सारांश	वर्तमान स्थिति
	(ख) भूमि सुधार कार्यान्वयन के कार्यक्रमों को अंतिम रूप देने के लिए मुख्य मंत्रियों की बैठक	इस उद्देश्य के लिए तैयार किए गए कार्यसूची नोट सभी राज्यों के मुख्य सचिवालयों को भेजे जा चुके हैं। इस नोट पर मुख्य मंत्रियों की विशेष बैठक में विचार किया जाएगा, बैठक का आयोजन 11-6-1990 के लिए संभावित है।
	(ग) भू-राजस्व प्रशासन के राष्ट्रीय आयोग का गठन	क्योंकि मंत्रिमंडल ने प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है, आयोग के गठन के लिए आवश्यक कार्रवाई प्रारम्भ की जा चुकी है।
6.	10 हजार रुपए तक ऋण राहत	निर्णय लिया और घोषित किया गया।
7.	कृषि उत्पाद/खाद्यान्नों के लिए गोदाम का मास्टर प्लान	राज्यों के साथ विचार-विमर्श के पश्चात् मास्टर प्लान के लिए दृष्टिकोण पत्र तैयार किया जा चुका है। राज्यों का मास्टर प्लान तैयार हो जाने के पश्चात् अखिल भारतीय मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा।
8.	ग्रामीण समाज पर जोर देने के लिए विज्ञान व प्रौद्योगिकी कार्यक्रम	नए कार्यक्रमों का अनुमोदन दिया जा चुका है

राज्यों द्वारा पेड़ काटने की अनुमति

2207. सरदार जगजीत सिंह अरोड़ा : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री 26 दिसम्बर, 1989 को राज्य सभा में अतारांकित प्रश्न सं० 151 के दिए गए उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 7 दिसम्बर, 1988 को घोषित राष्ट्रीय वन नीति के अधीन पेड़ों को काटने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि कई राज्य सरकारों ने अपने-अपने पेड़ संरक्षण अधिनियमों में संशोधन करके पेड़ काटने की अनुमति दे दी है; और

(ग) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं और क्या सरकार देश में पेड़ों को बचाने के लिए कुछ ठोस तथा प्रभावशाली कदम उठाने का विचार रखती है ताकि पेड़ों को काटने पर पूर्णतया प्रतिबंध लगाया जा सके ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) नई राष्ट्रीय वन नीति, 1988 में यह व्यवस्था है कि उष्णकटिबंधीय वर्षा/नर्म वाले वनों, विशेषकर अरुणाचल प्रदेश, केरल, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह जैसे इलाकों के वनों की पूर्ण सुरक्षा की जानी चाहिए। इस नीति में यह भी कहा गया है कि वन कार्यक्रमों में पर्याप्त रूप से तैयार किए गए प्राकृतिक वनों की स्पष्ट कटाई नहीं की जानी चाहिए।

(ख) और (ग) राज्य सरकारों के अपने वृक्ष सुरक्षा अधिनियम हैं जिन्हें उन्होंने अपनी आवश्यकतानुसार तैयार किया है। निजी भूमियों पर वृक्षों की कटाई को राज्य सरकार के उक्त अधि-